



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124334

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 11439 वर्ष 2026

अजय उर्फ गुल्लू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक श्रीवास्तव, अजय नंद पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता : दीपक सिंह पटेल, जी.ए., मुकेश कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय नंद पांडेय, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक सिंह पटेल और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना- भौराकलां, जिला- मुजफ्फरनगर में मु.अ.सं. (मुकदमा अपराध संख्या) 01 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 238(ए), 140(4), 61(2)(ए), 70(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5जी/6 के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनाकर्ता के पुत्र की हत्या कर दी है, क्योंकि उसका शव 07.01.2026 को एक खुले खेत में मिला था। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया था कि प्रथम सूचनाकर्ता ने मृतक को 06.01.2026 को शाम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4:30 बजे देखा था जब वह अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को केवल 08.01.2026 को दर्ज किए गए जगदीश नामक व्यक्ति के बयान के आधार पर फंसाया गया है, जिसमें उसने कहा था कि उसने 06.01.2026 को शाम 4 बजे आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को अंतिम बार मृतक के साथ जाते हुए देखा था, हालाँकि, जगदीश 07.01.2026 को पंचायतनामा (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट) तैयार करते समय गवाह था। इसलिए जगदीश के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है या आवेदक की निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 08.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश तथा जमानत देने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो **2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- अजय उर्फ गुल्लू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के घटित होने में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
 8. बंधपत्रों को स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
 9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
 10. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
 11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जमानत देने की नीति रणनीति, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 जिसका निर्णय 31.01.2023 को हुआ और (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, साथ ही पीला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025 जिसका निर्णय 29.05.2026 को हुआ, के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

जून 1, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.सी.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।